# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

| प्रा0पत्र संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/10/2022 | 2022/18 | 18.01.2022 | 14.11.2022 |

1. अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुशीला देवी पत्नी स्व0 रघुवीर प्रसाद
2. मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 रघुवीर प्रसाद
3. बीना देवी
4. उर्मिला
5. रेणू
6. कुसुम
7. रेखा पुत्रीयान स्व0 रघुवीर प्रसाद निवासीयान महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 हाल निवासीयान 159, स्कीम नं0 2, लाजपत नगर, अलवर राज0।
8. गीता देवी पत्नी स्व0 भगवत प्रसाद
9. भूपेन्द्र कुमार
10. भारत भूषण
11. शशि भूषण पुत्रान स्व0 भगवान प्रसाद
12. बिन्दू
13. सुमन पुत्रीया स्व भगवत प्रसाद जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
14. बिमला देवी पत्नी स्व भगवानदास
15. नरेश
16. राकेश
17. मनोज पुत्रान स्व0 भगवान दास जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
18. लक्ष्मीनारायण
19. प्रेम प्रकाश
20. हुकम चन्द
21. रविन्द्र कुमार
22. केशव कुमार पुत्रान स्व रामेश्वर दयाल जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
23. माया देवी पत्नी स्व0 जयन्ती प्रसाद
24. दिनेश
25. मुकेश
26. योगेश पुत्रान स्व0 जयन्ती प्रसाद
27. रेखा
28. पिंकी पुत्रीया स्व0 जयन्ती प्रसाद जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
29. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामदयाल जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
30. रामकली पत्नी स्व0 शिवशंकर
31. धर्मपाल
32. जयपाल पुत्रान स्व0 शिवशंकर
33. कमलेश
34. सरला
35. रामा
36. सन्तोष

जिला कलक्टर, अलवर

37. मंजू पुत्रीया स्व0 शिवशंकर जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
38. गिरिश पुत्र महावीर प्रसाद
39. गीता पत्नी स्व0 राजेश
40. नितिन पुत्र स्व0 राजेश जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
41. दीपक पुत्र स्व महावीर जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
42. मोहन पुत्र फूल जाति महाजन निवासी 228, गली नम्बर 6, द्य राधा नगर, पालम नगर, दिल्ली।
43. सुदेश कुमार
44. सुशील कुमार
45. राकेश कुमार पुत्रान स्व0 बाबूलाल
46. मंजू पुत्री स्व0 बाबूलाल जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
47. दीपक कुमार अग्रवाल
48. प्रदीप कुमार अग्रवाल
49. कृष्ण कुमार अग्रवाल
50. संदीप कुमार अग्रवाल पुत्रान स्व0 अमरनाथ जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
51. गिरवर प्रसाद अग्रवाल पुत्र धनीराम जाति महाजन हाल निवासी 4 भ–1, जवाहर नगर, जयपुर।
52. अनिल पुत्र स्व0 रामस्वरूप हाल निवासी गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, 3/44 कहरी घाट, आगरा, उ0प्र0।
53. अशोक कुमार
54. अजय कुमार
55. सुनील कुमार पुत्रान स्व0 मुकुट बिहारी
56. ऊषा
57. सुधा पुत्रीया स्व0 मुकुट बिहारी जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
58. शकुन्तला पत्नी स्व0 कलाधारी
59. महेन्द्र
60. कैलाशचन्द
61. चन्द्र प्रकाश पुत्रान स्व कलाधारी
62. शैलजा पुत्री स्व कलाधारी जाति महाजन निवासीयान मोन्टी हाउस, घण्टेश्वर मन्दिर के पास, रेवाड़ी हरियाणा।
63. जय दयाल पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी औरंगाबाद केयरऑफ प्रतीक मैटल इण्डस्ट्रीज, गुट नम्बर 148, 315 भावे (बीआर)
64. लखनलाल
65. योगेश पुत्रान स्व जगदीश जाति महाजन निवासीयान लखनऊ, गर्ग स्टोर, आनन्द नगर, जेल रोड़, लखनऊ, उ0प्र0।
66. हितेश कुमार
67. रिपुसूदन
68. हितेन्द्र कुमार
69. ध्रुव कुमार पुत्रान स्व0 शिवचरण
70. किरण देवी पत्नी स्व0 शिवचरण
71. मीना
72. मिथलेश
73. गीता पुत्रीया स्व0 शिवचरण जाति महाजन निवासीयान टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

**—अप्रार्थीगण**

<u>**प्रार्थना पत्र मुन्तकिल**</u>

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील प्रार्थी

जिला कलक्टर, अलवर

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी ओम प्रकाश बनाम रघुवीर प्रसाद को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण आराजी वाके ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा के संबंध में विचाराधीन है। जिस बाबत समस्त राजस्व रिकॉर्ड की नकले अधीनस्थ न्यायालय में पेश की हुई है। जिससे वादीगण व अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्ट्या केस साबित है। किन्तु पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव में प्रतिवादीगण के प्रभाव में है तथा प्रतिवादीगण ने बेजा प्रभाव बनाया हुआ है। जब भी तारीख पेशी होती है प्रतिवादीगण का पीठासीन अधिकारी पक्षपात करते है तथा अप्रार्थी हितेन्द्र पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में प्राय जाता रहता है। इस कारण वादीगण प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। आराजी बेशकीमती है जो बस स्टैण्ड टपूकड़ा के पास स्थित है तथा अप्रार्थीगण ने भूमाफिया लोगों को इस जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिए कहा हुआ है जो भूमाफिया लोग राजनैतिक पहूंच वाले है जिनमें मुकेश मिततल भूतपूर्व सरपंच है। प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 30.11.2021 को विपक्षी पार्टी को सुनकर स्थगन आदेश पारित किया था। किन्तु प्रतिवादीगण के बेजा दबाव में आकर पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 11.12.2021 को ही कैम्प टपूकड़ा में बिना वादीगण को सुने बगैर मौका दिये जारी स्थगन आदेश निरस्त फरमा दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विचाराधीन वाद में न्यायोचित कार्यवाही की जा रही है। आरोपित तथ्य मनगढंत है। किसी भी पक्षकार का कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है। किसी का चैम्बर में आना जाना नहीं है। वाद में विवादित आराजी कीतनी कीमती है या पक्षकार भूमाफिया है अथवा राजनैतिक पहूंच वाला है इससे न्यायालय का कोई सरोकार नहीं है। प्रा0पत्र में अंकित बिन्दू अस्वीकार व मनगढंत है। प्रकरण में उभय–पक्षकार की बहस उपरांत ही न्यायिक प्रकिया के तहत कार्यवाही की गयी है। यदि उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक एवं मनगढंत है। किसी भी पक्षकार का कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है। किसी का चैम्बर में आना जाना नहीं है। वाद में विवादित आराजी कीतनी कीमती है या पक्षकार भूमाफिया है अथवा राजनैतिक पहूंच वाला है इससे न्यायालय का कोई सरोकार नहीं है। प्रा0पत्र में अंकित बिन्दू अस्वीकार व मनगढंत है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, अलवर
जिला कलेक्टर, अलवर
(राजस्थान)